



कार्यालय नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम

नैनीताल रोड़, हल्द्वानी, पिन कोड़- 263139

(www.Nagarnigamhaldwani.in) toll free no- 8882610000

E-Mail- haldwaninagarnigam@gmail.com दूरभाष:-05946-220035



पत्रांक :- 233 / मार्केटिंग अनुभाग

दिनांक :- 03-5-25

सार्वजनिक सूचना

नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम क्षेत्रान्तर्गत निजी भूमि पर साप्ताहिक हाट बाजार संचालन की अनुमति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र की शर्तें दिनांक 05/05/2025 से नगर निगम की वेबसाइट www.haldwaninagarnigam.com पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती हैं अथवा नगर निगम कार्यालय के कक्ष नं०-12 से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं। आवेदन प्रपत्र दिनांक 17/05/2025 को अपरान्ह 01:00 बजे तक नगर निगम कार्यालय के कक्ष सं० 12 में जमा किये जा सकते हैं।

वरिष्ठ वित्त अधिकारी

नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।

नगर आयुक्त

नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।

प्रतिलिपि-

1. सम्पादक दैनिक उत्तर उजाला एवं सम्पादक दैनिक उत्तर उजाला नैनीताल संस्करण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सार्वजनिक को न्यूनतम निर्धारित दरों में अधिकतम 40 वर्ग सेमी० पठनीय स्पेस में प्रकाशित कर भुगतान हेतु संस्करण की दो प्रतियां विल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. प्रांजलि वैचर्स को इस आशय से प्रेषित की वे उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को नगर निगम वेबसाइट में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
3. कार्यालय उपजिलाधिकारी हल्द्वानी, कार्यालय तहसीलदार हल्द्वानी, नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम के कार्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।

वित्तीय प्रस्ताव

फोटो


1. नाम -.....
2. पिता का नाम -.....
3. पता-.....
.....
4. मोबाईल नं०-.....
5. हाट बाजार स्थल का पता-.....
6. प्रस्तावित धनराशि का विवरण अंको में-.....
शब्दों में-.....
7. प्रस्तावित दिवस -.....

Mace 24




नगर निगम सीमान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में हाट बाजारों के संचालन हेतु नियम व शर्तें :-

1. नगर निगम सीमान्तर्गत ब्यूरा बन्दोबस्ती, रेशम बाग कुसुमखेड़ा, लालडांट मंगल बाजार, आर0टी0ओ0 रोड़ यूनिवर्सल स्कूल व गैस गोदाम रोड़ कुसुमखेड़ा को छोड़कर हाँट बाजार संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति/भू-स्वामी आवेदन कर सकते हैं परन्तु 01km के दायरे में दूसरा हाँट बाजार अनुमन्य नहीं किया जायेगा। 01km के दायरे में 01 से अधिक व्यक्ति/भू-स्वामियों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो प्रस्ताव में अधिक बोली अंकित करने वाले आवेदक के पक्ष में हाँट बाजार का आवंटन किया जायेगा।
2. 01km के दायरे का निर्धारण नगर आयुक्त द्वारा गठित हाँट बाजार आवंटन समिति के द्वारा किया जायेगा।
3. हाँट बाजार संचालन का आवंटन 02 (दो) वर्ष के लिए किया जायेगा। हाँट बाजार संचालन अवधि में यदि अधिकृत आवंटी हाँट बाजार नहीं लगाना चाहता है तो इस संबंध में 01 माह का नोटिस (शपथ पत्र) नगर निगम को देना होगा परन्तु जमा करायी गई धनराशि वापस नहीं होगी।
4. हाँट बाजार संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति तकनीकी व वित्तीय प्रस्ताव अंकित करते हुए अलग-अलग लिफाफों में डालकर तथा दोनों लिफाफों को एक अन्य बड़े लिफाफे में डालकर उस पर प्रस्तावक का नाम व प्रस्तावित हाँट बाजार स्थल स्पष्ट अंकित करते हुए दिनांक 17/05/25 को अपराहन 01:00 बजे तक नगर निगम कार्यालय के कक्ष सं0 12 में रखे बॉक्स में डाल सकते हैं।
5. यदि हाँट बाजार प्रस्तावक एक स्थल पर दो दिन हाँट बाजार संचालन करना चाहता है तो संचालक को दोनों दिवस की धनराशि पृथक-पृथक अंकित करना होगा।
6. नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम द्वारा हाँट बाजार हेतु आवेदन शुल्क धनराशि रू0 10,000/- निर्धारित है जिस पर 18 प्रतिशत जी0 एस0 टी0 पृथक से देय होगा। जिनके डिमाण्ड ड्राफ्ट पृथक-पृथक तकनीकी प्रस्तावों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक द्वारा हाँट बाजार लाईसेन्स हेतु अपनी प्रस्तावित दरें स्पष्ट शब्दों और अकों में लिखी जायेंगी।
8. तकनीकी प्रस्ताव की शर्तें पूरी होने पर ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे।
9. हाँट बाजार प्रस्ताव स्वीकृत होने पर आवंटी को प्रस्तावित वार्षिक शुल्क की 25 प्रतिशत धनराशि 01 सप्ताह में अग्रिम शुल्क के रूप में जमा करानी होगी। शेष धनराशि 03-03 माह के अन्तराल में जमा कराना अनिवार्य होगा।

क्रमशः.....2


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right with the number '121' written below it.

10. हॉट बाजार संचालित करने हेतु भू-खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ होना आवश्यक है। एक एकड़ से कम भू-खण्ड होने पर नगर आयुक्त, द्वारा गठित समिति द्वारा औचित्यपूर्ण आधार पर अनुमति हेतु विचार किया जा सकेगा।
11. हॉट बाजार संचालन हेतु इच्छुक प्रस्तावक को अपने तकनीकी प्रस्ताव के साथ स्वयं/फर्म का आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ हॉट बाजार शुल्क की एफ0डी0आर0, भू-स्वामित्व का प्रमाण पत्र/किराया अनुबन्ध की छायाप्रति के साथ-साथ भू-खण्ड पर दुकान लगाने हेतु ले-आउट प्लान संलग्न करना होगा जिसमें दुकानों की संख्या, पार्किंग व शौचालय, आदि को दर्शाना अनिवार्य होगा।
12. हॉट बाजार संचालन हेतु प्रस्तावक को आवंटन की समस्त शर्तों की सहमति के सम्बन्ध में रु0 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा।
13. ले-आउट में प्रत्येक दुकानदार हेतु 06×06 फिट के फड़ आवंटन का प्रस्ताव किया जायेगा। फड़ों के लिए आरक्षित भू-खण्ड क्षेत्र पर नगर निगम हॉट बाजारों के संचालन हेतु गजट के अनुसार शुल्क हॉट बाजार संचालनकर्ता द्वारा लिया जा सकेगा।
14. हॉट बाजार संचालन हेतु प्रस्ताव विगत वर्ष की तुलना में कम-से-कम 10 प्रतिशत अधिक धनराशि प्रस्तावित किये जाने पर ही स्वीकार किया जायेगा, परन्तु नये स्थल पर हॉट बाजार संचालित करने हेतु लगाये जाने वाले फड़ों की संख्या व न्यूनतम हॉट बाजार शुल्क से कम शुल्क प्रस्तावित किये जाने पर प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
15. हाट बाजार स्थल पर जन सुविधाएं यथा पार्किंग, लाईट, शौचालय, साफ-सफाई, व सी0सी0टी0वी0 कैमरा आदि की व्यवस्था हॉट बाजार संचालनकर्ता को स्वयं करनी होगी। बाजार की समाप्ति पर हॉट बाजार स्थल की पूर्णतः सफाई कर कूड़ा निगम के कूड़ा वाहन को उपलब्ध कराना होगा जिसका शुल्क पृथक से नगर निगम को देय होगा। हॉट बाजार समाप्ति के उपरान्त सफाई न कराने पर स्थल की फोटोग्राफी कर प्रथम बार में रु0 5,000/- व दूसरी बार में रु0 10,000/- का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। अर्थदण्ड जमा न करने या तीसरी शिकायत प्राप्त होने पर आवंटन निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
16. हॉट बाजार संचालक द्वारा सी0सी0टी0वी0 कैमरा, शौचालय, लाईट आदि हॉट बाजार स्थल पर उपलब्ध न कराये जाने पर उक्त कार्य नगर निगम द्वारा कराया जायेगा जिस पर होने वाला व्यय हॉट बाजार आवंटन शुल्क में जोड़ दिया जायेगा।

   क्रमशः.....3

17. हाट बाजार में पॉलीथीन/थरमाकॉल/Single use plastic एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। सफाई तथा स्वच्छता के मानकों एवं प्लास्टिक उपयोग सम्बन्धी प्रतिबन्धों के बार-बार उल्लंघन पर आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
18. हाँट बाजार संचालक को हाँट बाजार स्थल पर एक साइन बोर्ड लगाना होगा जिस पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत हाँट बाजार संचालक का नाम, बाजार स्थल का क्षेत्रफल, पार्किंग स्थल का क्षेत्रफल व शुल्क सूची आदि लिखा जाना अनिवार्य होगा।
19. यातायात, जन स्वास्थ्य, औचित्यपूर्ण जन शिकायत या किसी राजकीय विभाग की औचित्यपूर्ण आपत्ति, कानून एवं व्यवस्था आदि के आधार पर किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम में निहित होगा।
20. किसी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
21. नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम के किसी भी बकायेदार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा।
22. नगर निगम के द्वारा अनुबन्धित हाँट बाजार संचालक को हाँट बाजार में वसूली अभिकर्ताओं का नाम, पता व पासपोर्ट साईज फोटो नगर निगम कार्यालय में उपलब्ध कराई जानी अनिवार्य होगी। वसूली अभिकर्ताओं को परिचय पत्र हाँट बाजार संचालक द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।
23. हाँट बाजार संचालक को एक हाँट बाजार पंजिका बनानी होगी जिसमें हाँट बाजार में आने वाले समस्त व्यवसायिकों के नाम, पिता/पति का नाम, स्थाई निवास का पता, वर्तमान निवास का पता व आधार कार्ड दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।
24. हाँट बाजार संचालक को स्वीकृत लाईसेन्स शुल्क धनराशि के अनुसार निर्धारित स्टाम्प शुल्क पर पंजीकृत अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा जिसका समस्त शुल्क सम्बन्धित चयनित आवंटि द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
25. हाँट बाजार स्थल पर किसी विवाद, शिकायत व असुविधा की स्थिति में साइट बदलने का अधिकार नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम के पास सुरक्षित होगा।
26. हाँट बाजार में आगजनी की घटना/अन्य दुर्घटनाओं से निपटने की सम्पूर्ण व्यवस्था तथा उपकरण व निस्तारण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिकृत संचालक की होगी।










क्रमशः.....4


122


27. यातायात एवं जनसुविधा हेतु यदि नगर निगम अथवा शासन/प्रशासन द्वारा हॉट बाजार हटाये जाने में यदि आवंटि को कोई क्षति होती है तो नगर निगम द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
28. किसी भी माननीय न्यायालय सम्बन्धी वाद के लिए क्षेत्राधिकार जिला नैनीताल के जिला न्यायालय/न्यायालयों में होगा।
29. हॉट बाजार में आने वाले व्यापारी व उपभोक्ताओं के वाहनों को पार्किंग हेतु चयनित स्थल पर ही पार्क कराया जायेगा। मुख्य मार्ग व आवासीय कालोनी के मार्गों पर वाहन पार्क नहीं किये जायेंगे। ऐसा पाया जाने पर नगर आयुक्त, को अधिकार होगा कि वह इस बात की चेतावनी अधिकृत हॉट बाजार संचालक को जारी करेगा। हॉट बाजार संचालक द्वारा शिकायत का निस्तारण न किये जाने पर प्रथम बार में ₹0 5,000/, द्वितीय बार में ₹0 10,000/ जुर्माना आरोपित किये जाने के पश्चात तृतीय अवसर पर शिकायत प्राप्त होने पर जमानत धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। हॉट बाजार संचालक द्वारा नगर निगम को कोई भी देय धनराशि जो आवंटन/अनुबंध से सम्बन्धित हो भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूली जा सकेंगी।
30. हॉट बाजार में व्यापारियों/उपभोक्ताओं के मध्य कोई विवाद को स्वयं अथवा पुलिस प्रशासन के माध्यम से निस्तारित कराने की जिम्मेदारी हॉट बाजार संचालक की ही होगी।
31. शर्त अनुबन्ध का भाग होगी तथा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में आवंटन निरस्त कर पुन आवंटन किया जायेगा।



हाट बाजार लिपिक
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।


कर अधीक्षक
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।


वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।


कर निरीक्षक
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।


नोडल मार्केटिंग अनुभाग
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।


नगर आयुक्त
नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम।